

वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग- II

(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य कम संख्या :- FP/CG/OFC/146672/2021

7	परियोजना/स्कीम का स्थान	Jio Digital Fiber Private Limited Surajpur Forest Division, Laying of OFC along with ROW (Road Corridor) Under Network Strengthening and Providing Connecting to Rural Areas in Surajpur District of Chhattisgarh
i	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	छत्तीसगढ़
ii	जिला	सूरजपुर
iii	वन प्रभाग	सूरजपुर वनमण्डल सूरजपुर
iv	वनोत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित वन भूमि (हेक्टेयर)	7.396
v	वन की कानूनी स्थिति	वनभूमि - 6.595 हे. राजस्व वनभूमि - 0.801 हे. कुल वनभूमि - 7.396
VI	वनस्पति का घनत्व	वन घनत्व - 0.4 - 0.6
VII	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए) सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के संबंध में एफ.आर.एल., एफ.एफ.आर.एल.-2 मी. पर परिगणना और एफ.आर.एल. 4 मी. भी संलग्न किये जाए।	आवश्यकता नहीं है।
viii	भू-क्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशील पर संक्षिप्त टिप्पणी	मृदा क्षरण की संभावना नहीं है अतः उक्त भूमि परियोजना हेतु दिया जा सकता है।
ix	वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी.	परियोजना वनभूमि एवं राजस्व वनभूमि से होकर गुजरती है।
x	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, जैव मंडल रिजर्व, बाघ रिजर्व हाथी, कोरीडोर, आदि का भाग है (यदि हाँ, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्यजीव वार्डन की टिप्पणियाँ अनुबंधित की जाए)	नहीं है।
xi	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियाँ पाई जाती हैं, यदि हाँ/तो तत्संबंधी ब्यौरा दें।	नहीं है।
xii	क्या कोई सुरक्षित पुरात्तवीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो दें।	नहीं है।
8	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वनभूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं तो, जाँचे गये विकल्पों के ब्यौरो सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो दें।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग -1 कॉलम 2 में प्रस्तावित वनभूमि की माँग न्यूनतम एवं आवश्यक है।

9	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है। (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो कार्य की अवधि दोषी अधिकारियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दे, क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी चल रहे हैं।	नहीं है।
10	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा	
i.	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमित वनक्षेत्र आसपास के वन से इसकी दूरी भूखण्डों की संख्या प्रत्येक भूखण्ड का आकार।	आवश्यकता नहीं है।
ii	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर/ अवक्रमित वन क्षेत्र और आस पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।	आवश्यकता नहीं है।
iii	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेंसी समय अनुसूची लागत ढाँचा आदि।	आवश्यकता नहीं है।
iv	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिये कुल वित्तीय परिव्यय।	आवश्यकता नहीं है।
v	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबंधकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षर किया जाए)	आवश्यकता नहीं है।
11	जिला उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपयुक्त कालम 7 (xi,xii), 8 और 9 में पूछे गए तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)	आवश्यकता नहीं है।
12-	विभाग/जिला प्रोफाईल	
i.	जिले का भौगोलिक क्षेत्र	जिले का कुल 5181.855 वर्ग कि.मी. भौगोलिक क्षेत्र है।
ii.	जिले का वनक्षेत्र	जिले का कुल 1655.722 वर्ग कि.मी. वनक्षेत्र है।
iii.	मामलो की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र।	27 मामलो में 2679.044 हे.
iv.	1980 में जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक:	4726.641 हे.
	क. दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वनभूमि।	निरंक
	ख. वनेत्तर भूमि पर।	18.680
v.	वर्ष 2018-19 तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति :-	
	क. वनभूमि पर।	4707.961 हे.
	ख. वनेत्तर भूमि पर	18.680 हे.

13	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश।	भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना जियो ऑप्टिकल फायबर केबल के अंतर्गत सूरजपुर जिला के सूरजपुर वनमण्डल क्षेत्रान्तर्गत तहसील-सूरजपुर, रामानुजनगर, प्रतापपुर, प्रेमनगर, भैयाथान, एवं ओडगी में लगभग 153 ग्रामों एवं उनके आस-पास स्थित अन्य ग्रामों में दूरसंचार व्यवस्था सुदृढ़ होगी तथा इंटरनेट के माध्यम से शासकीय एवं गैर शासकीय योजनाओं का लाभ सीधे आम व्यक्तियों को प्राप्त होगी ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने के गैर वानिकी कार्य हेतु अनुमति प्रदान करने की अनुशंसा की जाती है।
----	--	---

दिनांक : 22-09-2023

स्थान : सूरजपुर वनमण्डल क्षेत्रान्तर्गत
सूरजपुर, रामानुजनगर, प्रतापपुर
ओडगी, एवं भैयाथान

PK

Pankaj Kumar Kamal
(I.F.S.)
Divisional Forest Officer
Surajpur Distt. Surajpur (C.G.)